बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संकल्प

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार, पटना एक पूर्ण सरकारी संस्था है, जो विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सीधे नियंत्रण में राज्य स्तरीय संगठन है। राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् का गठन आदेश संख्या–75/Dir दिनांक– 31.05.1955 द्वारा किया गया है एवं इसका संचालन आदेश संख्या–463 दिनांक 07.11.1956 से किया जा रहा है। राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् का मुख्य कार्य परीक्षा का संचालन, सभी डिप्लोमा स्तर के संस्थानों का संबंधन एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना एवं डिप्लोमा प्रदान करना है। उपरोक्त कार्यों के संचालन हेतु पूर्व से हीं माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर प्रत्येक तीन वर्षों पर संकल्प के माध्यम से तीन वर्षों के लिए पर्षद् का अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को नामित करते हुए पर्षद् का अवधि विस्तार किया जाता रहा है।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार को पुर्नगठित करते हुए उसका अवधि विस्तार अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए निम्न प्रकार किया जाता है :–

1. विभागीय मंत्री	–	अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	–	उपाध्यक्ष
3. निदेशक, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	–	सदस्य
4. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के प्रतिनिधि	–	सदस्य
5. माननीय मंत्री–सह–अध्यक्ष, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् द्वारा नामित राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के दो नियमित प्राचार्य	–	सदस्य
6. अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य
7. अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य
8. अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य
9. राजकीय पोलिटेकनिक के वरीयतम प्राचार्य	–	सदस्य
10. बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 द्वारा नामित मुख्य अभियंता–		सदस्य
11. सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार, पटना	–	सदस्य सचिव
उद्योग के प्रतिनिधि :–		
12. बिहार उद्योग संघ के प्रतिनिधि	–	सदस्य
13. बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि	–	सदस्य
गैर सरकारी सदस्य :–		
14. निदेशक, बी॰आई॰टी॰, पटना	–	सदस्य
15. निदेशक, एन॰आई॰टी॰, पटना अथवा उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य

विभागीय संकल्प संख्या–539 दिनांक 04/05/2005 में उल्लिखित पर्षद् के कृत्य एवं शक्तियाँ यथावत् रहेंगी।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक–एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेज दिया जाय तथा 100 प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–वि॰प्रा॰(II)व^2–37/2004/ 2764 पटना/दिनांक– 4/7/24

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर उसकी एक–एक प्रति संबंधित व्यक्तियों को भेज देंगे एवं 100 प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–वि॰प्रा॰(II)व^2–37/2004/ 2764 पटना/दिनांक– 4/7/24

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–वि॰प्रा॰(II)व^2–37/2004/ 2764 पटना/दिनांक– 4/7/24

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री एवं सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–वि॰प्रा॰(II)व^2–37/2004/ 2764 पटना/दिनांक– 4/7/24

प्रतिलिपि :– सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि क्रमांक–4, 10, 12, 13 एवं 15 में अंकित विभागों से पत्राचार कर मनोनित प्रतिनिधि के नाम की सूची प्राप्त कर लेंगे। विभाग के सभी पदाधिकारियों/ सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों/ कर्मचारियों/ आई॰टी॰ मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।